

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी
 महावीर बनाम राधिका देवी
 किस्म मुकदमा नं. 37 / 150 / 24 सन.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18-6-24	पत्रावली से रिपोर्ट ले कर पेश हुई। प्राची अखिबता उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर रजिस्टर होकर जज सम्मन अप्राची को नलबकर पत्रावली दिनांक 25-6-24 को पेश हो	
25-6-24	पत्रावली पेश हुई। प्राची अखिबता उपस्थित अप्राची की तरफ से सरकार पेश कर तैय्यार है-डा. उपस्थित। सरकार पेश कर न जवाब प्रस्तुत नहीं कर अप्राची (बाहिर की) प्राची का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृष्ठक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली केसल शूमार होकर प्रकरण पर नम्बर से कम लेबर लाए पूर्ण प्रारिक्त पत्र हो	Sud

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बन्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी राज0

37 / प्रा.पत्र / 2024

दायरा दिनांक 18.06.2024

पीठासीन अधिकारी
श्री कैलाश चन्द गुर्जर (RAS)

बउनवान

1. महावीर पुत्र मोडू जाति गुर्जर निवासी आजन्दा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0

—प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

—अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 128,111 एल. आर. एक्ट
प्रार्थीगण की ओर से :- श्री राधेश्याम मीना
अप्रार्थी की ओर से :- पैरोकार सरकार।

दिनांक:- 25.06.2024

—:आदेश:-

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना-पत्र पेश किया गया है कि ग्राम बलदेवपुरा पटवार हल्का घाट का बराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी प्रार्थी की कृषि भूमि संख्या 1083/1057 रकवा 0.46 है0 जिसके खातेदार टीनेन्ट प्रार्थी हैं एवं काबिज काश्त कारी करता चला आ रहा है। जो खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड होकर प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की है। जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की कृषि भूमि के समीप ही अन्य कृषि भूमि है जिसके कारण प्रार्थी की कृषि भूमि दबी हुई है जिसके कारण आस-पास के पडौसी खातेदार द्वारा प्रार्थी की कृषि भूमि पर कब्जा करने की संभावना है और प्रार्थी की कुछ भूमि सिकुड़ी हुई है जितनी कृषि भूमि प्रार्थी के खाते में है उतनी कृषि भूमि

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

21.6.2024

मीके पर नहीं है। प्रार्थी की खातेदारी एवं व कब्जे की कृषिभूमि के पडौसी खातेदार प्रार्थी की कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर प्रार्थी की सीमाओं को भिटाना चाहते हैं। सीमांकन के संबंध में कोई वाद विवाद उत्पन्न न हो व प्रार्थिगण की कृषिभूमि सुरक्षित रहे इस कारण पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया- प्रार्थिगण उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काशतकार होकर इन्हें आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी की तरफ से परोकार सरकार उपस्थित हुए प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्ष बहस समाहत पत्रावली की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार इन्द्रगढ को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बलदेवपुरा पटवार हल्का घाट का बराना तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी की प्रार्थी की कृषि भूमि संख्या 1083/1057 रकबा 0.46 है। जिसका खातेदार टीनेन्ट प्रार्थी है एवं काबिज काशत होकर कास्त करता चला आ रहा है। जो खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रेस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/- रुपये अक्षरे एक हजार रुपये प्रार्थिगण से वसूल किये जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर वाद पूर्ति दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

जुप्रसुमदु अमिस्कीस
वासरी (सूची)